गाली देने का विरोध करने पर ब्लेड से किया हमला, आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी

जासं, मुरादाबाद : मुगलपुरा क्षेत्र के पीरगैब निवासी शाहरुख ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र मे बताया कि 22 अगस्त रात मुहल्ले के ही आदिल का भाई उसके आगे-आगे चल रहा था। अचानक आदिल आया और गाली गलौज करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपित आदिल ने जेब से ब्लेड निकाल कर कई वार कर दिए। प्रभारी निरीक्षक केके राणा ने बताया कि आदिल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत, पति घायल

संभल-मुरादाबाद मार्ग पर हुआ हादसा, गुस्साए लोगों ने एक घंटे लगाया जाम

संवाद सूत्र, जागरण • मैनाठेर : रक्षाबंधन का पर्व मनाने बिजनौर से पति के साथ बाइक से मैनाठेर के गांव आजमनगर चोपड़ा आ रही महिला की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। हादसा संभल-मुरादाबाद मार्ग पर डींगरपुर के पास हुआ। महिला की मौत से गुस्साए स्वजन और ग्रामीणों ने जाम लगाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। मौके पर पहुंचे बिलारी क्षेत्राधिकारी के आश्वासन पर घंटे भर बाद जाम हटा दिया। घटना के बाद स्वजन में चीख पुकार मची है।

बिजनौर के नया गांव निवासी बिरजू रक्षाबंधन के पर्व पर अपनी पत्नी पूनम के साथ मुरादाबाद शाम बाइक से थाना सोनकपुर के गांव आजमनगर चोपड़ा स्थित ससुराल आ रहे थे। रात्रि आठ बजे के करीब जैसे ही बाइक सवार दंपती संभल-मुरादाबाद मार्ग पर डींगरपुर के पास पहुंचे तो वहां सड़क किनारे पीडब्ल्यूडी के नाला निर्माण चल रहा है। रोड के किनारे कीचड़ हो रही है जिससे बचने के लिए बाइक सवार रोड के किनारे चल रहे थे, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक पर सवार पूनम नीचे गिरते ही अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई। जिसके चलते उसकी मौत हो गई। वहीं उनके पति बिरजू भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते मृतका पूनम के स्वजन सहित अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। उन्होंने अज्ञात वाहन के चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जाम लगा दिया।

जाम लगने की सूचना पर मौके पर पहुंचे सीओ बिलारी अशोक कुमार व चेयरमैन प्रतिनिधि मंगल सेन सैनी सहित पुलिस बल पहुंचा। सीओ ने स्वजन से वार्ता की। जिसके बाद उन्होंने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। स्वजन ने जाम खोल दिया।

पूनम का फाइल फोटो•

हादसे में घायल की उपचार के दौरान मौत, प्राथमिकी दर्ज

संस, कांठ : पाकबड़ा के ग्राम गाजगोला नानक वाली निवासी चंचल कुमार ने पुलिस तहरीर देते हुए बताया कि, चार अगस्त की रात उनके बहनोई हंसराज बाइक से छजलैट की ओर से अपने घर आ रहे थे। सीएनएस अकादमी स्कूल कुचावली के पास उन्होंने बाइक सड़क किनारे रोककर लघुशंका करने लगे। जैसे ही वह बाइक के पास पहुंचे, तभी अज्ञात बाइक सवार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी थी। उपचार के दौरान 9 अगस्त को उनकी मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है।

घर में किशोरी को अकेला देख की छेड़खानी, विरोध पर पीटा

जासं, मुरादाबाद : किशोरी को अकेला देख पड़ोस के दो युवकों ने घर में घुसकर छेड़खानी की। शोर सुनकर पहुंची किशोरी की मां पर आरोपितों ने चाकू से हमला किया। आरोपितों के अन्य स्वजन भी पहुंच गए। पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर आरोपित नमित चौहान, वीरपाल, अंजली, सुशीला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मझोला क्षेत्र की महिला ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र मे बताया कि बुधवार दोपहर नमित चौहान और वीरपाल उसके घर में घुस गए। आरोपितों ने बेटी के साथ छेड़खानी की। महिला के अनुसार जब वह अचानक घर पहुंची और आरोपितों का विरोध किया तो आरोपितों ने उसके ऊपर चाकू से हमला किया।

गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो साल चार माह की सजा

जासं, मुरादाबाद : गैंगस्टर एक्ट में अमर सिंह को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल चार माह की सजा सुनाई है। इस मामले की सुनवाई एडीजे-पांच अविनाश चंद्र मिश्रा की अदालत में चली। संभल जिले के चंदौसी प्रभारी चरन सिंह यादव ने 22 जून 2004 में बदायूं जिले के फैजगंज बेहटा क्षेत्र के मानपुर निवासी अमर सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने दावा किया था कि आरोपित आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए गिरोह बनाकर अपराध करता है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अमर सिंह को दोषी करार देते हुए दो साल चार माह की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

जिले के 58 केंद्रों पर होगी धान की खरीद

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : धान खरीद सत्र शुरू होने से पहले जिले में सरकारी खरीद की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान खरीदने के लिए 58 क्रय केंद्रों को मंजूरी दी गई है। इनमें बिलारी और कुंदरकी क्षेत्र में सबसे अधिक केंद्र बनाए गए हैं। मंडियों, सहकारी समितियों, बी-पैक्स, पंचायत भवन और गोदामों को भी खरीद केंद्र बनाया है हालांकि, केंद्रों की संख्या से ज्यादा उनकी लोकेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चर्चा है कि कुछ केंद्र किसानों की सुविधा के बजाए धान मिल मालिकों की सहूलियत को ध्यान में रखकर खोले गए हैं।

सबसे ज्यादा चर्चा कृषि उत्पादन मंडी, मझोला परिसर की है। यहां एक ही हाल में दो धान क्रय केंद्र खोलने को मंजूरी मिली है। यूपीएसएस की ओर से फतेहपुर खास बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति के गांव अहलादपुर में क्रय केंद्र खोला गया है। खास बात यह है कि समिति के बोर्ड की ओर से अपने यहां केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव दिया गया था। इसके बावजूद यूपीएसएस ने केंद्र दूसरे गांव में खोल दिया। इसे लेकर समिति स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। इसी तरह और भी कई ऐसे प्रस्ताव थे, जिनके दरकिनार करके समिति के बजाए अन्य संस्थाओं के केंद्र खोल दिए गए। जिला खाद्य विपणन अधिकारी विनीता मिश्रा ने बताया कि संस्थाओं के प्रस्तावों पर केंद्रों की स्वीकृति को प्रस्ताव दिया था। अभी और भी केंद्र खोले जाने हैं। जहां अधिक हैं, उन्हें भी दिखवा लेंगे, जहां कम होंगे वहां के लिए और प्रस्तावित करा लिए जाएंगे।

मझोला मंडी में चार धान क्रय केंद्र बनाए

जिले के 58 केंद्रों में बिलारी और कुंदरकी क्षेत्र में सबसे अधिक केंद्र बनाए गए हैं। बिलारी में गन्ना समिति बिलारी प्रथम और द्वितीय, बी-पैक्स बिलारी, जटपुरा सहकारी संघ, छेमकर और अबूपुरा खुर्द समेत कई केंद्र निर्धारित किए गए हैं। कुंदरकी में कुंदरकी प्रथम, यूपीएसएस रसूलपुर हमीर, बी-पैक्स मल्हीपुर, बी-पैक्स अल्लापुर भीकन, पंडिया पंचायत भवन, यूपीएसएस मदारपुर बिचौला, जिला सहकारी संघ उकिया-जुम्मा और नौसेना समेत कई स्थानों पर केंद्र बने हैं। मुरादाबाद क्षेत्र में मुरादाबाद मंडी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ केंद्र निर्धारित किए गए हैं। अगवानपुर संघ और दलपतपुर बफर गोदाम में भी खरीद केंद्र बनाए गए हैं। ठाकुरद्वारा में उपमंडी ठाकुरद्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के साथ करना वाला खालसा, सबलपुर पंचायत भवन, पीसीएफ मदारपुर, बी-पैक्स शेरपुर बहलीन, सहकारी संघ शरीफनगर और बी-पैक्स सुरजननगर में केंद्र निर्धारित हैं।

अब हिंदी की खबरें अंग्रेजी में भी पढ़ें
www.jagranpost.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड प्रथम, मुरादाबाद

ई-निविदा सूचना संख्या-01/अधि०अभि०/2026-27

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्य की ऑन लाइन प्री-क्वालीफिकेशन/टेक्नीकल एवं फाइनेन्शियल बिड http://etender.up.nic.in के माध्यम से सिंचाई विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनाँक 17.09.2026 की पूर्वान्ह 17:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। यह निविदा दिनांक 03.09.2026 को पूर्वान्ह 10:00 बजे से दिनांक 17.09.2026 की पूर्वान्ह 17:00 बजे तक उपरोक्त वेबसाइट पर डाउनलोड एवं अपलोड की जा सकती है। प्री-क्वालीफिकेशन/टेक्नीकल बिड दिनांक 18.09.2026 पूर्वान्ह 10:00 बजे मुख्य अभियन्ता, नलकूप पश्चिम सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मेरठ द्वारा गठित समिति द्वारा ऑन लाइन खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने या अवकाश होने की स्थिति में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में उसी समय खोली जायेगी।

प्री-क्वालीफिकेशन बिड में क्वालीफाई घोषित निविदादाताओं की फाइनेन्शियल बिड खोलने की तिथि एवं समय वेबसाइट पर डाल दी जायेगी एवं उसी के अनुसार फाईनेन्शियल बिड ऑनलाईन खोली जायेगी।

लाट सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	धरोहर धनराशि (लाख रू० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	पंजीकृत श्रेणी
1	2	(लाख रूपये में)	4	5	6	7
1	विकास खण्ड कुन्दरकी स्थित निरीक्षण भवन डींगरपुर की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य	32.82	0.66	90 दिवस	रू0 300.00 + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० = 354.00 (निविदा प्रपत्र का शुल्क + रू0 500.00 U.P Electronics Corporation Ltd. का शुल्क	"A" एवं उच्चतर

यह निविदा/बिड http://etender.up.nic.in एवं उ0प्र0 सरकार की वेबसाइट http://up.gov.in तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट http://www.idup.gov.in पर उपलब्ध है। नियम एवं शर्तें सिंचाई विभाग एवं ई-टेंडरिंग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

(नीरज कुमार गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता

UP-255191 दिनाँक 27.08.2026 विज्ञापन वेबसाइट www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश अमरोहा

सार्वजनिक नीलामी सूचना

वित्तीय वर्ष 2026-27 की शेष अवधि हेतु जनपद न्यायालय अमरोहा के बाह्य न्यायालय हसनपुर परिसर में स्थित भोजनालय की नीलामी के संबंध में।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीलामी समिति की आख्या दिनांकित 20.08.2026 तथा माननीय जिला न्यायाधीश के अनुमोदन दिनांकित 20.08.2026 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2026-27 की शेष अवधि हेतु जनपद न्यायालय अमरोहा के बाह्य न्यायालय हसनपुर परिसर में स्थित भोजनालय की नीलामी की कार्यवाही सील्ड निविदा टेण्डर के माध्यम के आधार पर दिनांक 01.09.2026 को जिला न्यायालय अमरोहा स्थित वीडियो कान्फ्रेन्सिंग रूम में समय 04:00 बजे की जानी है। नीलामी हेतु इच्छुक व्यक्ति उक्त भोजनालय के ठेके की न्यूनतम धनराशि तथा धरोहर धनराशि एवं अन्य जानकारी किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक केन्द्रीय नजारत अनुभाग अमरोहा से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

क्र.सं.	दुकान/स्टॉल का नाम	धरोहर धनराशि	वित्तीय वर्ष 2026-27 की शेष अवधि हेतु निर्धारित की गयी न्यूनतम धनराशि।
1	भोजनालय	3529/-	35291/-

नीलामी की शर्तें व नियम निम्न प्रकार होंगे:-

1. ठेके की अवधि वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 31 मार्च 2027 तक होगी।
2. दिनांक 01.09.2026 को दोपहर 02:00 बजे तक प्राप्त सभी निविदायें माननीय जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष उसी दिन शाम 04:00 बजे खोली जायेगी।
3. न्यायालय परिसर में नशीली एवं अन्य अवैध वस्तुयें नहीं बेची जायेगी।
4. ठेकेदार बिजली, पानी तथा अन्य सभी व्यवस्थाऐं एवं स्टॉल सम्बन्धी अस्थाई व्यवस्था स्वयं करेंगे।
5. ठेके से सम्बन्धित किसी भी विवाद पर माननीय जिला न्यायाधीश महोदय का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
6. नीलामी ठेका पक्ष में होने पर ठेकेदार को नियमानुसार 100/- रुपये के स्टाम्प पर ठेकानामा लिखना होगा, उसे इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा समय समय पर पारित होने वाले आदेशों का पालन करना होगा।
7. ठेकेदार को ऐसे दो व्यक्तियों को जमानतदार के रूप में नाम व पता मय आधार कार्ड साथ प्रस्तुत करेगा कि धनराशि जमा न करने पर जमानतदारों से धनराशि वसूल की जायेगी।
8. यदि एक बोलीदाता एक से अधिक दुकान/स्टॉल की बोली में भाग लेना चाहता है तो उसे प्रत्येक दुकान/स्टॉल के लिए अलग अलग धरोहर धनराशि जमा करनी होगी। यदि बोलीदाता को दुकान/स्टॉल का ठेका नहीं मिलता है तो उसकी सुरक्षा धनराशि वापस कर दी जायेगी।
9. प्रत्येक ठेकेदार को ठेके की धनराशि का 25 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में तुरंत जमा करना होगा तथा शेष धनराशि प्रत्येक त्रैमास के प्रथम सप्ताह में जमा करनी होगी। यदि ठेकेदार द्वारा उक्त 25 प्रतिशत प्रथम किस्त की धनराशि उसी दिवस जमा नहीं की गयी तो उसका ठेका निरस्त कर ठेका दूसरे बोलीदाता के पक्ष में स्वीकृत कर दिया जायेगा। ठेका स्वीकृत होने के पश्चात् ठेकेदार ठेके की रकम के अनुपात में अचल सम्पत्ति के कागजात केन्द्रीय नजारत अनुभाग में जमा करेगा।
10. किसी व्यक्ति के पक्ष में नीलामी एक बार स्वीकार करने पर निरस्त नहीं की जायेगी। यदि बोलीदाता नीलामी की प्रथम किस्त जमा करने के उपरांत ठेका चला नहीं पाता है तो उसका ठेका निरस्त कर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
11. ठेका अवधि पूर्ण होने पर 31 मार्च 2027 को ठेकेदार अपना सामान स्वयं उठायेगा एवं भूमि का कब्जा प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय नजारत अनुभाग जिला न्यायालय अमरोहा को उसी अवस्था में देगा जिस अवस्था में उसे प्रदान किया गया था।
12. सफल बोली दाता की धरोहर धनराशि चतुर्थ त्रैमास की किश्त में समायोजित की जायेगी।
13. आपराधिक व अवांछित प्रवृत्ति के व्यक्तियों का बोली में भाग लेना वर्जित है। ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आने पर माननीय जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा किसी भी समय बिना नोटिस दिये ठेके को निरस्त किया जा सकता है।
14. प्लास्टिक, पॉलिथीन, धूम्रपान की वस्तुऐं, ज्वलनशील पदार्थ एवं नशीले पदार्थ न्यायालय परिसर में पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगें।
15. प्रत्येक वस्तु की मूल्य-सूची ठेकेदार को केन्द्रीय नजारत अनुभाग जिला न्यायालय अमरोहा को उपलब्ध करानी होगी। सफल बोलीदाता को ठेका स्वीकृत होने पर जितनी धनराशि का ठेका स्वीकृत हुआ है उतनी ही धनराशि की स्वयं के नाम पर दर्ज चल एवं अचल सम्पत्ति के दस्तावेज की छाया प्रति केन्द्रीय नजारत अनुभाग जिला न्यायालय अमरोहा को उपलब्ध करानी होगी।
16. खाद्य पदार्थ की वस्तुयें मानक के अनुरूप होनी चाहिए। खाद्य पदार्थ की जाँच ठेके की अवधि में किसी भी समय कराई जा सकती है। खाद्य पदार्थ मानक के अनुरूप न पाये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा जिसका समस्त क्षेत्राधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को रहेगा।
17. माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 101/A A दिनांकित 17.09.1952 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार खाद्य पदार्थ के मूल्यों की एक सूची ठेके के स्थान पर चस्पा करेगा एवं उक्त सूची में अंकित खाद्य पदार्थों के मूल्य से अधिक दर पर विक्रय नहीं करेगा।
18. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र संख्या 14 दिनांकित 08.02.1958 के अनुसार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ठेके की नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले अवांछनीय व्यक्ति का ठेका बिना किसी कारण के निरस्त कर सकते हैं एवं उससे कम नीलामी की बोली लगाने वाले उपयुक्त व्यक्ति का ठेका स्वीकार कर सकते हैं।

अतः नीलामी समिति का मत है कि उपरोक्त नियम एवं शर्तों के अतिरिक्त नीलामी का व्यापक प्रचार प्रसार हेतु नीलामी की सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय अमरोहा की वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है तथा जनसूचनाधिकारी अमरोहा को शासनादेश संख्या 527/19.02.2077-1007 टी0सी0 दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने एवं सूचना पट पर चस्पा करायी जा सकती है। नीलामी की सूचना समस्त नगर पालिकाओं, जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करायी जा सकती है।

संजय चौधरी
अध्यक्ष नीलामी समिति
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं.-03
जिला न्यायालय अमरोहा।

UP-256199 दिनाँक 27.08.2026 विज्ञापन वेबसाइट www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है।

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मण्डल सामग्री प्रबंधक, उत्तर रेलवे मुरादाबाद-244001 द्वारा निविदाकर्ताओं से निम्नलिखित मद के लिए इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रणाली के अर्न्तगत भण्डार की आपूर्ति हेतु निविदा आमन्त्रित की जाती है।

क्र.सं.	निविदा संख्या	माल का विवरण	मात्रा (नम्बर में)	अनुमानित मूल्य (रु.में)	निविदा खुलने की तिथि
01	GEM/2026/B/7888200	स्मार्ट कार्ड से चलने वाली (ATVM) टिकट वेंडिंग मशीन	50 नम्बर	74,00,000.00	21.09.2026 11:00 AM

नोट- पूर्ण विवरण एवं निविदा शर्ते वेब साइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। पत्र सं.- 50-S/LP/2026 दिनांक. 06.08.2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 297/2026

कार्यालय ग्राम पंचायत दूल्हापुर पट्टी चौहान

विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद)।

अल्पकालीन निविदा सूचना

[illegible]

ग्राम सचिव/प्रशासक-दूल्हापुर पट्टी चौहान
विकास खण्ड ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद

Ho. part VII

[illegible] उत्तराधिकार आपके नाम एक नालिश [illegible] लिहाजा आपको हुक्म होता है की तारीख 15 माह 9 सन 2026 दिन के दस बजे असालतन मार्फत अपने वकील जो मुकदमा के हालात से वाकिफ हो और जवाब दे सके। आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज पेश करें जिन्हें अपनी जवाब देही में करना चाहते हैं। आपको इत्तिला दी जाती है कि आप अगर बरोज मजकूर हाजिर न होंगे तो मुकदमा गैर हाजिर मसमुआ और फैसला होगा।

उत्तर प्रदेश पर्यटन

UPSTDC
पर्यटन भवन, सी-13, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ -226010
www.uptourism.gov.in/upstdc.co.in, mail: mdupstdc@gmail.com/md@upstdc.co.in

पत्रांक: 1543/कार्मिक-3/2026 | दिनांक : 27.08.2026

उ. प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि. के निर्माण सेल में निम्न पदों पर सेवानिवृत्त अभियन्ताओं की आवश्यकता है:-

पदनाम	पदों की संख्या	निर्धारित अर्हता पदधारक
सहायक परियोजना प्रबन्धक (सिविल)	02	किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग या संस्था/ निगम/ उपक्रम से अवर अभियन्ता अथवा समकक्ष पद से सेवानिवृत्त

उक्त पदों हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन प्रबन्ध निदेशक उ.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम, सी-13, विपिन खण्ड, गोमती नगर, (पर्यटन भवन) लखनऊ के कार्यालय में दिनाँक 10.09.2026 तक व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक/ई-मेल के माध्यम से जमा कर सकते हैं। विज्ञापित पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

आवेदक की आयु विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि को 64 वर्ष से अधिक न हो। सेवा अवधि प्रथमतः 01 वर्ष के लिए रहेगी, जिसे वार्षिक मूल्यांकन एवं आवश्यकता के आधार पर अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक विस्तारित किया जा सकेगा। आवेदन-पत्र के साथ पी.पी.ओ., जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें मोबाइल नं. एवं ई-मेल आई.डी. का भी उल्लेख हो।

आवेदक को इस आशय का नोटराईज्ड शपथ-पत्र भी देना अनिवार्य होगा कि उनके विरुद्ध सेवाकाल में तथा उसके उपरान्त कोई विभागीय/ न्यायिक कार्यवाही प्रचलित नहीं थी/है, और न ही दण्डित किया गया हो।

चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रबन्ध निदेशक उ.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम के नाम रू. 5.00 लाख (रू. पाँच लाख मात्र) का एफ.डी.आर. बन्धक करना अनिवार्य होगा। चयनित अभ्यर्थी को प्रदेश के किसी भी मण्डल/ जनपद में तैनात किया जा सकता है। प्रबन्ध निदेशक

जैव प्रौद्योगिकी विभाग
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार

वर्ष 2026-27 के लिए महिला शोधकर्ताओं हेतु "बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट और री-ओरिएंटेशन (बायोकेयर) प्रोग्राम" के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए महिला शोधकर्ताओं हेतु बायोकेयर कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में महिला शोधकर्ताओं की जैव प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान के प्रति भागीदारी को बढ़ावा देना है।

फेलोशिप अनुदान, पात्रता मानदंड, दिशानिर्देश एवं आवेदन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी डीबीटी की वेबसाइट https://dbt.gov.in/ तथा आरसीबी की वेबसाइट https://rcb.res.in/DBTBioCARe/ पर उपलब्ध है। आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी कृपया कॉमन फेलोशिप पोर्टल https://fellowships.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि : 25 अगस्त, 2026

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 23 सितंबर, 2026

किसी भी जानकारी या सहायता के लिए कृपया डीबीटी-एचआरडी परियोजना एवं प्रबंधन इकाई, क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र से ईमेल biocare.dbt@rcb.res.in पर संपर्क करें।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !

सर्किल कार्यालय : ARMB शाखा, रामगंगा विहार, निकट सैल टैक्स, मुरादाबाद (यू.पी.)
EMAIL: cs8281@pnb.co.in

ई-नीलामी विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 (1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निमाण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 9 (1) के प्रावधान के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना, आम जनता और विशेष रूप से कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं) को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक पड़ी/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/ भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक / प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को सम्बन्धित कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं) से बैंक प्रतिभूत लेनदार के पास उनके बकायों की वसूली हेतु, निम्नांकित सारणी के अंकितानुसार तिथि को **"जैसी है जहां है", "जो भी है वही है"** आधार पर बेचा जायेगा। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि, सम्बन्धित सम्पत्तियों के समक्ष निम्न सारणी में अंकितानुसार होगी।

ई-नीलामी की तिथि एवं समय- 24.09.2026 प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक एवं शाखाः ARMB (828100), मुरादाबाद

क्र. सं.	कर्जदार/बंधककर्ता/ गारंटर का नाम	बंधक अचल सम्पत्तियों का विवरण सम्पत्ति स्वामी का नाम	सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना की तिथि / सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि / कब्जे की प्रकृति	आरक्षित मूल्य (रूपये में) / ईएमडी (रूपये में) / बोली वृद्धिशील राशि
1	श्री शारिक टिम्बर प्रोप. मो. यासीन पुत्र मो. अकील, मो. यासीन पुत्र मो. अकील, जेन आलम पुत्र कलुबा	साम्यिक सम्पत्ति स्थित है ठाकुरद्वारा से ढिलारा रोड के पास, गाँव ढकिया पीरू, तहसील-ठाकुरद्वारा, ज़िला मुरादाबाद (नामित है मो. यासीन पुत्र मो. अकील) पंजीकृत है बही संख्याः 01, जिल्द संख्याः 2702, पृष्ठ संख्याः 121 से 144, क्रम संख्याः 4908, दिनांक 22.11.2017, जिसका क्षेत्रफल156.07 वर्ग मीटर है। **चौहद्दी- उत्तरः** रास्ता, **दक्षिणः** असगर अली का घर, **पूर्वः** मो. अकील का घर, **पश्चिमः** मासूके मस्जिद।	11.01.2022 / रू. 24,55,779.95/- + ब्याज और अन्य शुल्क, 11.01.2022 से प्रभावी / सांकेतिक कब्जा	रू. 20,05,000/- / रू. 2,00,500/- / रू. 25,000/-
2	मैसर्स तनवीर ट्रेडर्स और मै जहाँ पत्नी जाने आलम (प्रोपराईटर. मकान नंबर 475, ढकिया पीरू, पोस्ट ढकिया जाट, तहसील ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद	साम्यिक सम्पत्ति स्थित है गाँव ढकिया पीरू, तहसील - ठाकुरद्वारा, ज़िला मुरादाबाद (यू.पी.) पंजीकृत है बही संख्याः 1, जिल्द संख्याः 2569, पृष्ठ संख्याः 383 से 438, क्रम संख्याः 902, दिनांक 09.03.2017 जिसका क्षेत्रफल 152.96 वर्ग मीटर (नामित है मै जहाँ पत्नी जाने आलम के नाम पर।) **चौहद्दी- पूर्वः** आराजी कलुआ और विक्रेता; **पश्चिमः** रियासत का घर; **उत्तरः** कलुआ का घर और विक्रेता; **दक्षिणः** सड़क।	25.05.2021 / रू. 24,99,004.17/- + ब्याज और अन्य शुल्क, 25.05.2021 से प्रभावी / सांकेतिक कब्जा	रू. 18,64,000/- / रू. 1,86,400/- / रू. 25,000/-
3	मैसर्स उमामा एग्रो सीड्स (ऋणी फर्म), अर्चना गुप्ता पत्नी मोहम्मद हनीफ (साझेदार) और मो. हनीफ पुत्र हैदर अली (साझेदार) निवासी ग्राम ढकिया पीरू, पोस्ट ढकिया जाट, तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद	साम्यिक सम्पत्ति स्थित है गाँव गुल्डिया माफ़ी, तहसील ठाकुरद्वारा, ज़िला मुरादाबाद पंजीकृत है बही संख्याः 1, जिल्द संख्याः 2557, पृष्ठ संख्याः 325 से 382, क्रम संख्याः 467, दिनांक 17.02.2017; जिसका कुल क्षेत्रफल-182.29 वर्ग मीटर; (नामित है अर्चना गुप्ता पत्नी मो. हनीफ़) **चौहद्दी- पूर्वः** फ़ैज़ुल हसन का घर और 5.18 मीटर चौड़ा रास्ता; **पश्चिमः** नज़ाकत का घर; **उत्तरः** खुर्शीद का घर; **दक्षिणः** इब्ले का घर।	25.05.2021 / रू. 25,68,211/- + ब्याज और अन्य शुल्क, 25.05.2021 से प्रभावी / सांकेतिक कब्जा	रू. 21,25,000/- / रू. 2,12,500/- / रू. 1,00,000/-
4	मैसर्स अब्बासी हार्डवेयर स्टोर (ऋणी फर्म) श्री मुस्तफा हुसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन (साझेदार), श्री मोहम्मद इस्लाम पुत्र मोहम्मद उमर (साझेदार) मुजम्मिल अली पुत्र मोहम्मद हसनैन (गारंटर/बंधककर्ता)	सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से स्थित हैः गाँव -जटपुरा, ठाकुरद्वारा से मुरादाबाद रोड, तहसील -ठाकुरद्वारा, ज़िला मुरादाबाद। पंजीकृत है बही संख्याः 01, जिल्द संख्याः 2575, पृष्ठ संख्याः 229 से 264, क्रम संख्याः 1096, दिनांक- 21.03.2017 जिसका क्षेत्रफल- 536.88 वर्ग मीटर। (नामित है श्री मुज़म्मिल अली पुत्र श्री मो. हसनैन) **चौहद्दी- उत्तरः** मुस्तफ़ा हुसैन का प्लॉट। **दक्षिणः** शौकत और मतीन का प्लॉट। **पूर्वः** नसीम अहमद का प्लॉट। **पश्चिमः** 3.96 मीटर चौड़ा रास्ता।	20.05.2021 / रू. 25,42,694.58/- + ब्याज और अन्य शुल्क, 20.05.2021 से प्रभावी / सांकेतिक कब्जा	रू. 9,04,000/- / रू. 90,400/- / रू. 20,000/-
5	पोरस कुमार पुत्र हरिओम सिंह, हिमाचल कुमार पुत्र हरिओम सिंह पताः ग्राम लौंगी कलां, ठाकुरद्वारा मुरादाबाद (यूपी)-244601	सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से स्थित हैः गाटा संख्या 72, गाँव- लौंगी कलां, तहसील-ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद (यूपी) पंजीकृत है बही संख्याः 1, जिल्द संख्याः 2544, पृष्ठ संख्याः 117 से 130, क्रम संख्याः 43, दिनांक 10.01.2017 जिसका क्षेत्रफल 169.45 वर्ग मीटर। (नामित है पोरस कुमार पुत्र श्री हरिओम सिंह) **चौहद्दी- पूर्वः** अमरपाल का प्लॉट। **पश्चिमः** वीरेंद्र सिंह का मकान। **उत्तरः** राजेश कुमार की प्रॉपर्टी। **दक्षिणः** रास्ता।	08.11.2023 / रू. 16,74,842.63/- + ब्याज और अन्य शुल्क, 08.11.2023 से प्रभावी / सांकेतिक कब्जा	रू. 7,21,000/- / रू. 72,100/- / रू. 10,000/-
6	पेस्टी साईट स्टोर और उमामा एंटरप्राइजेज (ऋणी फर्म), मो. हनीफ पुत्र हैदर अली पताः गांव ढकिया पीरू, पोस्ट ढकिया जाट, तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद -244001	सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से स्थित हैः गाँव - ढकियाजाट, ठाकुरद्वारा, ज़िला मुरादाबाद (यू.पी) पंजीकृत है बही संख्याः 01, जिल्द संख्याः 2647, पृष्ठ संख्याः 157-184, क्रम संख्याः 3235, दिनांक 27.07.2017) जिसका क्षेत्रफल 136.35 वर्ग मीटर है। (नामित है मोहम्मद हनीफ़ पुत्र हैदर अली) **चौहद्दी- पूर्वः** मोहम्मद हुसैन का घर, **पश्चिमः** हैदर अली का घर, **उत्तरः** सड़क, **दक्षिणः** हैदर अली का घर।	05.09.2022 / रू. 35,97,938/- + ब्याज और अन्य शुल्क, 05.09.2022 से प्रभावी / सांकेतिक कब्जा	रू. 37,40,000/- / रू. 3,74,000/- / रू. 50,000/-

कृपया सरफेसी अधिनियम-2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत 15 दिनों का वैधानिक नोटिस पढ़ें। ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि- ई-नीलामी से पूर्व

ई-नीलामी "जहां है जैसा है" और "जो है जैसा है" के आधार पर की जा रही है और इसे "ऑनलाइन" आयोजित किया जाएगा। नीलामी बैंक के अनुमोदित वेब पोर्टल, **https://baanknet.com/, ssupport.baanknet@psballiance.com Contact No. +91 8291220220** के माध्यम से आयोजित की जाएगी। ई-नीलामी वेब पोर्टल जिसमें ऑनलाइन ई-नीलामी, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री की सामान्य नियम और शर्तें शामिल हैं **https://baanknet.com/, support.baanknet@psballiance.com Contact No. +91 8291220220** पर उपलब्ध हैं। अधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले भार, नीलामी में रखी गई संपत्तियों का शीर्षक और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावे/अधिकार/बकाया के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। बैंक की प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व। संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेची जा रही है, चाहे वे बैंक को ज्ञात हों या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह से तीसरे पक्ष के दावे/अधिकारों/बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी। ई-नीलामी की अन्य नियम और शर्तें **https://baanknet.com/, support.baanknet@psballiance.com Contact No. +91 8291220220** पर प्रकाशित हैं। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बोली/बिक्री राशि का **25% संबंधित ईएमडी खाता** में तुरंत जमा करना होगा, बयाना राशि उसी **25%** के प्रतिकुल समायोजित की जाएगी। यदि निर्धारित समय के भीतर 25: राशि जमा नहीं की जाती है, तो बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। सफल प्रतिभागी को बिक्री की पुष्टि की तारीख से **15 दिन** के भीतर शेष **75%** राशि जमा करनी होगी। यदि निर्धारित समय के भीतर **75%** राशि जमा नहीं की जाती है, तो **25%** भी जब्त कर ली जाएगी और प्रतिभागी का संपत्ति पर कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मण्डल कार्यालय, श्री अनिल कुमार : +91 9674156363, श्री अरविन्द सिंह +91 9528411891

दिनांकः 28.08.2026 | स्थान : मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर | प्राधिकृत अधिकारी- पंजाब नैशनल बैंक